डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A Govt. of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

No. 2016/HQ/ADMIN/RTI-210

Date: 16/08/2016

Sh. Paras Narayan,
S/o.Sh.Kashiram Pal,
Village-Byohra,Post-Rampur,
Dist- Karchna, Allahabad.

ED458661961IN

16 AUG 2016

प्रेषण सं0.........

हस्ताक्षर.........

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt. 04-07-2016 received on 11-08-2016.

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित मांगी गयी जानकारी का विवरण निम्नवत् है :-

सवाल संख्या	उत्तर
1.	डीएफसीसीआईएल परियोजना में भूमि अधिग्रहण के बदले मिलने वाली राशि एवं सुविधाएं रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पात्रता सारणी के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसके अनुसार भूमि के बदले किसानों को राज्य सरकार की नीति अनुसार नौकरी/5 लाख रुपये/वार्षिकी (2000 रुपये प्रतिमाह) प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।
2.	भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को राज्य सरकार की नीति अनुसार नौकरी/5 लाख रुपये/वार्षिकी (2000 रुपये प्रतिमाह) प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है।
3.	डीएफसीसीआईएल द्वारा अधिग्रहित की गयी भूमि से प्रभावित किसानों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित पात्रता सारणी (Entitlement Matrix) में उपलब्ध है। जो डीएफसीसीआईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका लिंक http://dfccil.gov.in/upload/Hindi_Translation_of_Entitlement_Matrix_with_New_Land_Acquisition_Act_2013.pdf है।
4.	किसानों को बिना जानकारी दिये हुए किसी की जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। डीएफसीसीआईएल द्वारा भूमि का अधिग्रहण रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 के अनुसार किया जाता है। इसके अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य की सूचना सार्वजनिक रूप से दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।
5.	डीएफसीसीआईएल परियोजना में भूमि अधिग्रहण, रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 से किया जाता है। यह पूरी तरह से तर्कसंगत तथा न्यायसंगत है।

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited
(भारत सरकार का उपक्रम)
(A Govt. of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

However, in case , you are not satisfied with the information you may prefer an appeal within 30 days as provided in the Act to the Appellate Authority, GGM/Admn, DFCCIL, New Delhi.

(S.K. Panda)
DGM/PIO

Copy to: : For information & record w.r.t.their Note no.
AGM/LA HQ/GM/SEMU/RTI/7 Dtd.12/08/2016

16/8/16